न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4446 /2017/नागौर</u>

1– भागीरथ प्रसाद पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल,

2– अरूण कुमार पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल,

समस्त जाति महान, निवासीगण मीठड़ी, तहसील लाडनू, जिला नागौर हाल निवासी 157, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड़, तीसरा फ्लोर कमरा नंबर 170, कोलकत्ता जरिये आम मुख्तयार श्रवण कुमार पुत्र रामगोपाल, जाति अग्रवाल, निवासी मीठड़ी, तह0 लाडनू, जिला नागौर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– पूर्णमल पुत्र स्व0 राधाकिशन, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी हाल निवासी 602, अमृत कुंज भटार रोड़, उभा भवन के पास, सूरत ।

2– भंवरलाल पुत्र सुजजमल जाति महाजन, निवासी मीठड़ी हाल 157, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड़, तीसरा फ्लोर कमरा नंबर 170, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

3– भगवती प्रसाद पुत्र सुरजल जाति महाजन,

4– हेमन्त कुमार पुत्र सूरजमल, जाति महाजन,

निवासीगण 157, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड़, तीसरा फ्लोर कमरा नंबर 190, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

5– नथमल पुत्र स्व0 गजानन्द, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी, हाल निवासी 157, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड़, तीसरा फ्लोर, कमरा नंबर 180 सी/ओ. हनुमान ट्रेडिग कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

6– कैलाश चन्द्र पुत्र स्व0 चम्पालाल, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी हाल निवासी 25 नंबर पोस्ट ऑफिस रोड़ दमदमेन्टोन मेन्ड कोलकत्ता 28 (पश्चिम बंगाल)

7– बृजमोहन पुत्र चम्पालाल, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी हाल निवासी 34, नम्बर वी. मोतीलाल बासक लेन कड्डूर, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

8– शिवप्रसाद पुत्र चम्पालाल, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी हाल निवासी 202 महर्षि देवेन्द्र रोड़ कोलकत्ता 6 (पश्चिम बंगाल)

9– श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 श्री चम्पालाल पत्नि विष्णु सर्राफ, निवासी 12/1 बेलीमा घाटा मेन रोड़ कोलकत्ता–16 (पश्चिम बंगाल)

10– श्रीमती कान्ता पुत्री स्व0 चम्पालाल पत्नि पवन सिकरिया, निवासी 191, जी0सी0 ब्लॉक साल्ट लेक, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

11– श्रीमती मेना पुत्री स्व0 चम्पालाल पत्नि पवन सिकरिया, निवासी 209, बी0ई0 सेक्टर नंबर 1 साल्ट लेकसिटी, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

12– मुरारीलाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति महाजन, निवासी मीठड़ी, हाल 157, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड़, तीसरा फ्लोर, कमरा नंबर 170, कोलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडनू, जिला नागौर ।

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>

श्री सी0आर0 मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सी0पी0 पाराशर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ।

श्री हेमसिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः–04.03.2022

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अन्तर्गत अपील संख्या 572013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, लाडनू के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पैतृक व संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 107, 108, 113, 116, 125, 126, 126/478, 131 व 162 कुल खसरा 9 कुल रकबा 136 बीघा 7 बिसवा मौजा मीठड़ी तहसील लाडनू में स्थित है । उक्त आराजियात का बंटवारा स्व0 राधाकिशन ने अपने जीवन काल में ही पांचों पुत्रों को अलग–अलग कर दिया व बंटवारा की रजिस्टर्ड लिखा–पढी भी कर दी व अलग–अलग कब्जा सुपुर्द कर दिया । खसरा नंबर 116 राधाकिशन ने अपने पास रखा व शेष भूमि का बंटवारा कर दिया व खसरा नंबर 116 का राधकिशन के स्वर्गवास के पश्चात् बंटवारा कर लिया एवं तत्पश्चात् अपने अपने हिस्से पर सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा की स्कीम दर्ज करते हुए वाद पेश किया व बंटवारा दिनांक 20.12.1966 को होना व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा न हीं होने का तथ्य अंकित करते हुए एक वाद बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो वाद दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 6 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया व प्रतिवादी

संख्या 7 का जवाब बंद कर दिया । तत्पश्चात् काउन्टर क्लेम व जवाब पेश होने के उपरांत रेस्पो0/वादीगण की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 का पेश किया जो आवेदन स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधित वाद पत्र पेश नहीं किया गया व ना ही जवाबदावा पेश करने का अवसर दिये बिना ही बिना तनकियात कायम किए व बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिए वादी का वाद आवेदन आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के अनुसार प्राथमिक डिक्री करने का आदेश पारित कर दिया व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2013 को जारी कर दी जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2017 के द्वारा खारिज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व आज्ञापक विधिक प्रावधनों की किसी प्रकार की पालना नहीं की व बिना विधिक प्रावधानों की पालना किए गलत रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहत न्यायालय ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 को स्वीकार करने के पश्चात् संशोधित वाद पत्र पेश करवाये बिना व बिना संशोधित वादपत्र का जवाबदावा लिए विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना

केवल मात्र आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के अनुसार हूबहू प्राथमिक डिक्री पारित की जबकि विधिनुसार पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना व संशोधन का आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात् संशोधित वादपत्र का जवाब दावा लिये बिना आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाना विधिसम्मत् नहीं था । तहत न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 के आदेश के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी पेश की गई जो विचाराधीन रही, उक्त तथ्य भी अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकट होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहत न्यायालय के समक्ष अपीलांटस की ओर से प्रतिदावा पेश किया गया था । ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के अनुसार संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करवाया जाकर व जवाबदावा लेकर विवादक विरचित कर विवादक अनुसार साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना आवश्यक था । परन्तु तहसील न्यायालय ने उक्त आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की व बिना विवादक कायम किये व बिना साक्ष्य लिये विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि तहत न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा अपंजीकृत बंटवारा को पंजीकृत बताते हुए वाद प्रस्तुत किया था किन्तु आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत वाद में प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से हेतु बंटवारा करने का अनुतोष चाहा गया है जिसे तहत न्यायालय ने स्वीकार कर लिया । आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को मंजूर करने से वादपत्र की प्रकृति व नोहियत पूर्णतः बदल जाती है । इसके अलावा इस बंटवारे से पूर्व वर्ष 1964 में ही

बंटवारा हो चुका था जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार को आराजी का विभाजन कर दिया गया था और स्वंय राधाकिशन ने अपने हिस्से में आराजी खसरा संख्या 116 रखी थी । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने तहत न्यायालय के समक्ष अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था । काउन्टर क्लेम को वाद की तरह संधारित किया जाना चाहिये था । आदेश 8 नियम 6–ए के प्रावधानों के तहत काउन्टर क्लेम को वाद की तरह ही निस्तारण करना चाहिये । किन्तु तहत न्यायालय ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करते समय न तो काउन्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित किया है और ना ही जवाबदावे व काउन्टर क्लेम के आधार पर कोई तनकियात ही कायम की है । ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 एवं सहायक कलक्टर, लाडनू द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 17.06.2013 को निरस्त किया जावे ।

5– इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर, लाडनू का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2013 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 विधिसम्मत् है। विवादित भूमि का पक्षकारान के मध्य उनके पिता के जीवनकाल में ही विधिवत् रूप से बंटवारा हो गया था तथा उक्त लिखा–पढ़ी को पंजीयन अधिकारी कार्यालय में पजीबद्ध करवाया गया था । केवल मात्र खसरा नंबर 116 राधाकिशन के हिस्से में रखी गई थी । राधाकिशन के देहांत के उपरांत उनके हिस्से की भूमि उसके समस्त वारिसान में बराबर–बराबर विभक्त की गई है । तहत

न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में राधाकिशन के समस्त पुत्रों के हक व हिस्से में समान भूमियों का बंटवारा किया है ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं विवेचन किया ।

7– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कि न्यायालय सहायक कलक्टर, लाडनू के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पूर्णमल व भंवरलाल पुत्रगण स्व0 सूरजमल द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के पूर्वजों की भूमि है जिसका बंटवारा स्व0 राधाकिशन ने अपने जीवनकाल में ही पांचों पुत्र का अलग–अलग बंटवारा कर दिया था एवं बंटवारे की रजिस्टर्ड लिखापढ़ी भी दिनांक 20.12.1966 को उप पंजीयक कार्यालय डीडवाना में करवा दी थी तथा खेतों का बंटवारा कर कब्जा अलग–अलग सुपुर्द कर दिया था । केवल खसरा नंबर 116 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा स्व0 राधाकिशन ने अपने जीवनयापन के लिए अपने पास रखा था । राधाकिशन के स्वर्गवास होने के पश्चात् पांचों भाईयों ने खसरा नंबर 116 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा का भी अलग–अलग बंटवारा कर अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है । उक्त वादपत्र में वादीगण ने पक्षकारान के हिस्से मे आई भूमियों का उल्लेख भी किया है । उक्त वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 6 ने इकबाली जवाब पेश किया । प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 ने जवाब दावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा प्रतिदावा पेश कर संपूर्ण खसरा नंबर 116 रकबा 24

बीघा 1 बिस्वा बाबत् प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार करने का निवेदन किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पेश कर कर वाद संशोधन की अनुमति चाही जिसे तहत न्यायालय ने दिनांक 20.5.2013 को स्वीकार किया । किन्तु उक्त आदेश की पालना में वादीगण द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष ना तो संशोधित वादपत्र पेश किया गया है एवं ना ही तहत न्यायालय द्वारा वाद में तनकियात ही कायम की है । विधिनुसार वाद में संशोधन की अनुमति उपरांत संशोधित वाद पत्र प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण से संशोधित जवाबदावा प्राप्त करने के उपरांत संशोधित वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वादपत्र में आवश्यक तनकियात विरचित करने के उपरांत वाद को निर्णित करना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने संशोधित वादपत्र एवं जवाबदावा प्राप्त किए बिना तथा बिना तनकियात कायम किए वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहत न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था किन्तु तहत न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है जिससे भी सहायक कलक्टर, लाडनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा उक्त तथ्य प्रकट किये जाने के बावजूद विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर, लाडनू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2013 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 विधिक प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने से विधिसम्मत्

नहीं माने जा सकते है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, लाडनू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2017 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 निरस्त योग्य होकर प्रकरण सहायक कलक्टर, लाडनू को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8– उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर, लाडनू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2017 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2017 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण सहायक कलक्टर, लाडनू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में संशोधित वादपत्र एवं संशोधित जवाब दावा प्राप्त कर संशोधित वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात विरचित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रतिदावा को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10– निर्णय सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा) **(सी0आर0मीणा)**

सदस्य **सदस्य**